

संख्या: 1320/XI/2008 53(65)2004

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 10 दिसम्बर, 2008
विषय: विभागीय संरचनाओं के पुर्नगठन के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा समय-समय पर विभागीय संरचनाओं के पुर्नगठन से संबंधित शासन को संदर्भित प्रस्तावों एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभागीय संरचनाओं के पुर्नगठन के संबंध में यथा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत ग्राम्य विकास निदेशालय तथा जनपद स्तरीय/विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों हेतु पूर्व में सृजित लिपिक वर्ग, आशुलिपिक, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी, लेखा संवर्ग तथा निदेशालय के वित्त सेवा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के विभागीय संरचना को निम्नानुसार पुर्नगठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका (1)

ग्राम्य विकास निदेशालय (वित्त सेवा/लेखा परीक्षा/लिपिक संवर्ग/चतुर्थ श्रेणी)							
शासनादेश संख्या 610/XI/05 53(65)04 दिनांक 24-6-2005 के अनुसार				पुर्नगठन के फलस्वरूप सृजित पदों संख्या	दिनांक 01.01.2008 से पुर्नरीक्षित वेतनमान (रुपये में)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रुपये में)	अभ्युक्ति
क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान (रुपये में)	सृजित पदों की संख्या	5	6	7	8
1	वित्त नियंत्रक	संवर्गानुसार	0	1	संवर्गानुसार	-	वित्त सेवा के संवर्गानुसार निर्धारित वेतनमान के अनुसार।
2	सहायक लेखाधिकारी	7450-11500	3	2	वेतन बैंड-2 9300-34800	4600	प्रादेशिक लेखा संवर्ग से पूर्ति होगी

3	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (पूर्व पद नाम सहायक सम्प्रेक्षण अधिकारी)	7450-11500	2	3	वेतन बैंड-2 9300-34800	4600	विभागीय
4	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक (पूर्व पद नाम वरिष्ठ लेखा परीक्षक)	5500-9000	2	3	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	विभागीय
5	लेखा परीक्षक	4500-7000	4	6	वेतन बैंड-1 5200-20200	2800	विभागीय
6	प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड-I	5500-9000	1	1	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	विभागीय
7	प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड-II	5000-8000	2	2	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	विभागीय
8	मुख्य सहायक	4500-7000	2	4	वेतन बैंड-1 5200-20200	2800	विभागीय
9	प्रवर सहायक	4000-6000	3	4	वेतन बैंड-1 5200-20200	2400	विभागीय
10	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5500-9000	0	0	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	भूत प्रेरित
11	कनिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम कनिष्ठ लिपिक/सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर)	3050-4590	10	7	वेतन बैंड-1 5200-20200	1900	विभागीय
12	अनुसेवक	2550-3200	14	14	-1 एस 4440-7440	1300	विभागीय
13	स्वच्छक / चौकीदार	2550-3200	2	2	-1 एस 4440-7440	1300	
	योग-		45	49			

तालिका (2)

वाहन चालक संवर्ग (निदेशालय/जनपद/विकास खण्ड कार्यालय एवं प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों/प्रकोष्ठ)										
शासनादेश संख्या 610/XI/05 53(65)04 दिनोंक 24-6-2005 एवं शासनादेश संख्या 473/XI/04 65(13)03 दिनोंक 16.6.2004 के अनुसार					सृजित 135 पदों के सापेक्ष कार्यरत 86 पदों पर स्टाफिंग पैटर्न निम्नवत लागू होगा:-					
क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान (रुपये में)	सृजित पदों की संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप सृजित पदों संख्या	ग्रेड / पदनाम	दिनोंक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (रुपये में)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रुपये में)	पदों का प्रतिशत	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ग्राम्य विकास निदेशालय	3050-4590	5		वाहन चालक ग्रेड-4	वेतन बैंड-1 5200-20200	1900	35	30	सृजित पदों का वर्गीकरण पूर्व में निर्गत

2	मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय हेतु सृजित पद	3050-4590	121	135	वाहन चालक ग्रेड-3	वेतन बैंड-1 5200-20200	2400	30	26	शासनादेश दिनांक 24-6-2005 एवं दिनांक 16-6-2004 के अनुसार किया जायेगा।
3	परिशेष प्रकोष्ठ	3050-4590	1		वाहन चालक ग्रेड-2	वेतन बैंड-1 5200-20200	2800	30	26	
4	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु	3050-4590	8		वाहन चालक ग्रेड-1	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	5	4	
	योग-		135	135					86	शेष 49 पद तपशुल से भरे जायेंगे।

तालिका (3)

आशु लिपिक संवर्ग (निदेशालय/जनपदीय कार्यालय)										
क्र. सं.	शासनादेश संख्या 610/XI/05 53(65)04 दिनांक 24-6-2005 के अनुसार			पुनर्गठन के फलस्वरूप सृजित पदों संख्या	सृजित 30 पदों के सापेक्ष कार्यरत पदों पर स्टाफिंग पैटर्न निम्नवत लागू होगा:-					अभ्युक्ति
	पदनाम	वेतनमन (रूपये में)	सृजित पदों की संख्या		पदनाम	दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रूपये में)	पदों का प्रतिशत	पदों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ग्राम्य विकास निदेशालय	5000-8000	1	30	अशुलिपिक ग्रेड-2	वेतन बैंड-1 5200-20200	2400	50	15	सृजित पदों का वर्गीकरण पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 24-6-2005 के अनुसार किया जायेगा।
2	ग्राम्य विकास निदेशालय	4000-6000	3		अशुलिपिक ग्रेड-1	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	30	9	
3	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालयों हेतु	5000-8000	13		वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	15	5	
4	जिला विकास अधिकारी कार्यालयों हेतु	4000-6000	13		वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	5	1	
	योग-		30	30					30	

तालिका (4)

ग्राम्य विकास निदेशालय, जनपद तथा विकास खण्डों में लेखा संचर्ग के पदों का विवरण

पुनर्गठन के फलस्वरूप सृजित पदों संख्या										अभ्युक्ति
शासनादेश संख्या 610/XI/05 53(65)04 दिनांक 24.6.2005 के अनुसार				लेखाकार, सहायक लेखाकार तथा कनिष्ठ लेखा लिपिक के कमरा: सृजित 14, 226, 145 अर्थात् कुल 385 सृजित पदों के सापेक्ष लेखाकार तथा सहायक लेखाकार के कमरा: 14 एवं 204 भरे पदों एवं सहायक लेखाकार के वेतनमान में कार्यरत 132 कनिष्ठ लेखा लिपिकों के पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 350 पदों के सापेक्ष स्टाफिंग पैटर्न निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-						
क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान (रूपये में)	सृजित पदों की संख्या	पदनाम	दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रूपये में)	पदों का प्रतिशत	पदों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ग्राम्य विकास निदेशालय									
1	वरिष्ठ लेखाकार	5500-9000	1							
2	लेखाकार	5500-9000	1	लेखाकार	वेतन बैंड-2 9300 34800	4200	80	280	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार स्वीकृत किये जा रहे कुल 350 पदों में से प्रत्येक विकास खण्ड हेतु तीन-तीन पद एवं जनपद रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर हेतु तीन-तीन पद शेष जनपदों हेतु पाँच-पाँच पद व निदेशालय हेतु छः पद	

3	सहायक लेखाकार	4500-7000	1	सहायक लेखाकार	वेतन बैंड-1 5200-20200	2800	20	70	आवंटित किये हैं। सर लेखाक लेखाक की तैना विकास खण्डों / जिला विकास कार्यालयों की आवश्यकत नुसार उक्त आवंटित सीमा में विभागाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।
जनपद कार्यालयों तथा विकास खण्ड कार्यालयों हेतु									
1	लेखाकार	5500-9000	13						वर्तमान तैनाती के अनुसार सेवा निवृत्त / पदोन्नति, जो भी पहले हो की तिथि को समाप्त हो जायेगा।
2	सहायक लेखाकार	4500-7000	225						
3	कनिष्ठ लेखा लिपिक	3050-4590	145	कनिष्ठ लेखा लिपिक	वेतन बैंड-1 5200-20200	1900	मृत संवर्ग	13	
योग--			386					363	

तालिका (5)

जनपद स्तर पर जिला विकास कार्यालय / विकास खण्ड कार्यालयों के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग							
शासनादेश संख्या 610/XI/05 53(65)04 दिनांक 24-6-2005 के अनुसार							
क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान (रुपये में)	सृजित पदों की संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप सृजित पदों संख्या	दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (रुपये में)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रुपये में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500-10500	-	10	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	जनपद चम्पावत, रुद्रप्रयाग तथा बागेश्वर को छोड़कर प्रदेश के 10 जनपदों हेतु एक-एक पद। कनिष्ठ सहायकों के पूर्व में सृजित पदों में से 10 पदों को आस्थगित करते हुए।

2	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-I	5500-9000		13	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	प्रत्येक जनपद के लिए एक-एक पद।
3	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II	5000-8000	13	13	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	प्रत्येक जनपद के लिए एक-एक पद।
4	मुख्य सहायक	4500-7000	36	108	वेतन बैंड-1 5200-20200	2800	प्रत्येक जनपद एवं विकास खण्ड के लिए एक-एक पद।
5	प्रवर सहायक	4000-6000	208	121	वेतन बैंड-1 5200-20200	2400	प्रत्येक जनपद हेतु दो-दो पद एवं विकास खण्ड हेतु एक-एक पद
6	कनिष्ठ सहायक / सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (पूर्व पदनाम कनिष्ठ लिपिक / कम्प्यूटर ऑपरेटर / उर्दू अनुवादक)	3050-4590	140	124	वेतन बैंड-1 5200-20200	1900	प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक-एक पद एवं जनपद रुद्रप्रयाग, चम्पावत, एवं बागेश्वर हेतु तीन-तीन पद शेष जनपदों हेतु दो-दो पद।
7	अनुसेवक / पत्र वाहक	2550-3200	294	294	-1 एस 4440-7440	1300	प्रत्येक जनपदीय कार्यालय हेतु आठ-आठ पद तथा प्रत्येक विकास खण्ड हेतु दो-दो पद
8	स्वच्छक सह चौकीदार	2550-3200	88	88	-1 एस 4440-7440	1300	कार्यरत कार्मिकों के अतिरिक्त पदों को आउट सोर्सिंग से भरा जाय। कार्यरत पदधारकों के पदोन्नति/सेवानिवृत्त होने पर पद समाप्त होते जायेंगे।
9	पेड अप्रेंटिस	3050/- प्रतिमाह	1	1	3050/- प्रतिमाह		मृत संवर्ग
	योग-		780	772			

2- वाहन चालक संवर्ग में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत पदधारकों को शासनादेश संख्या 108/XXVII(7)/2006 दिनांक 03-7-2006 के प्राविधानों के अनुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप पदोन्नति का लाभ प्रदत्त किया जायेगा। शेष पद उपसुल से भरे जायेंगे।

3-

अशुलिपिक संवर्ग में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत पदधारकों व शासनादेश संख्या 110/XXVII(7)/2006 दिनांक 29-06-2008 के प्राविधानों व अनुसार स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जायेगा।

4-

लेखा संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार सृजित किये गये पदों के सापेक्ष पदोन्नति का लाभ प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या: 400/XI/04 53(43)/2004 दिनांक 21-8-2004 एवं शासनादेश संख्या: 529/XI/04 53(43)/2004 दिनांक 21-7-2006 में दिये गये निर्देशानुसार आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा नियमानुसार अग्रैत्तर कार्यवाही की जायेगी।

5-

मिनिस्ट्रीयल संवर्ग हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड- I, के सृजित पदों पर पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड- II, के कार्मिकों की राज्य स्तरीय ज्येष्ठता के आधार पर आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा की जायेगी।

6-

तालिका-5 के कर्मोंक-06 में कनिष्ठ सहायक/सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/उर्दू अनुवादक के कुल सृजित पदों में से जनपद देहरादून हेतु आवंटित पदों के सापेक्ष जनपद में कार्यरत उर्दू अनुवादकों की संख्या की सीमा तक उर्दू अनुवादक संवर्ग के पद रहेंगे।

7-

शासनादेश संख्या: 610/XI/05 53(65)/04 दिनांक 24-6-2005 द्वारा गठित ग्राम्य विकास विभाग का संरचनात्मक स्वरूप उक्त सीमा तक पुनर्गठित किया जाता है। खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग एवं ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग का ढाँचा अग्रिम आदेशों तक पूर्ववत् रहेगा।

8-

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय, संख्या: 1529/XXVII-7/2008 दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी कि जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

सचिव

संख्या: 1320 (1) /XI/008 53(65)2004 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 2. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
 3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल-पौड़ी/कुमायूँ मण्डल- नैनीताल।
 4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

संख्या 1842/XI/12/53(55)/2004

विनोद फोनिया

सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास विभाग

उत्तराखण्ड पीडी।

ग्राम्य विकास अनुभाग

विषय : ग्राम्य विकास विभाग के मिनिस्ट्रियल सदर्ग के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून : दिनांक : 7 सितम्बर, 2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 812/1-स्था-22(U)/2011-12

दिनांक 21 जून 2011 एवं पत्र संख्या 2331/1-स्था9-22(2)/2011-12 दिनांक 14 अक्टूबर 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत जिला विकास कार्यालयों के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के ढांचे का निम्नानुसार पुनर्गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	जनपद का नाम	पदनाम	शासनादेश सं. 1320 दिनांक 10.12.08 द्वारा स्वीकृत पदों की सं०	शासनादेश सं. 473 दिनांक 06.04 द्वारा स्वीकृत पदों की सं०	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	शासनादेश संख्या 163/XXX(2) दिनांक 11.2.2010 द्वारा स्वीकृत हेतु	कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष संशोधित स्टाफिंग रेटर्न का प्रतिशत	संशोधित स्टाफिंग रेटर्न	वर्तमान
1	अल्मोड़ा	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रुप I एवं ग्रेड II को सम्मिलित करते हुए)	2	1	3	7	20%	9	9300-34800 ग्रेड 4200
		मुख्य सहायक	12	1	13	18%	2	5200-20200 ग्रेड-2400	5200-20200 ग्रेड-2400
		प्रवर सहायक	13	2	15	10%	10	5200-20200 ग्रेड-2400	5200-20200 ग्रेड-2400
		सहायक सहायक/सह डाय इन्ट्री ऑपरेटर (पूर्व)	15	2	15	32%	15	5200-20200 ग्रेड-1900	5200-20200 ग्रेड-1900

	वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-1900)				
	योग	35	07	04	24
जनपद चम्पावत (जिला विकास कार्यालय एवं 04 विकास खण्डों हेतु पद आवंटन)					
1	प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 9300-34800 (ग्रेड पे-4200)	04	02	-	02(विकास खण्ड चम्पावत एवं पाटी हेतु एक-एक पद)
2	मुख्य सहायक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-2800)	04	02	-	02(विकास खण्ड बाराकोट एवं लोहाघाट हेतु एक-एक पद)
3	प्रवर सहायक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-2400)	06	02	-	04(प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक-एक पद)
4	कनिष्ठ सहायक/ कम्प्यूटर आपरेटर/ उर्दू अनुवादक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-1900)	06	02	-	04(प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक-एक पद)
	योग	20	08	-	12
जनपद उत्तरकाशी(जिला विकास कार्यालय एवं 06 विकास खण्डों हेतु पद आवंटन)					
1	प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 9300-34800 (ग्रेड पे-4200)	05	02	-	03(विकास खण्ड भटवाड़ा, मोरी एवं नौगाँव हेतु एक-एक पद)
2	मुख्य सहायक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-2800)	05	02	-	03(विकास खण्ड डुण्डा, पुरोला एवं चिन्चालीसौड हेतु एक-एक पद)
3	प्रवर सहायक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-2400)	08	02	-	06(प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक-एक पद)
4	कनिष्ठ सहायक/ कम्प्यूटर आपरेटर/ उर्दू अनुवादक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-1900)	08	02	-	06(प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक-एक पद)
	योग	26	08	-	18
जनपद चमोली(जिला विकास कार्यालय, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र एवं 09 विकास खण्डों हेतु पद आवंटन)					
1	प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 9300-34800 (ग्रेड पे-4200)	08	02	01	05(विकास खण्ड जोशीमठ, गैरसैण, कर्णप्रयाग, थराली एवं पोखरी हेतु एक-एक पद)
2	मुख्य सहायक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-2800)	07	02	01	04(विकास खण्ड नारायणगढ़, देवाल, घाट एवं दशोली हेतु एक-एक पद)
3	प्रवर सहायक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-2400)	11	01	01	09(प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक-एक पद)

		पदनाम लिपिक / कनिष्ठ ऑपरेटर / उर्दू अनुवादक)						
		कुल स्वीकृत पद	40	6	46	100%	46	
2	बागेश्वर	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड I एवं ग्रेड II को सम्मिलित करते हुए)	2	0	2	20%	3	9300-34800 ग्रेड पे-4200
		मुख्य सहायक	4	0	4	18%	3	5200-20200 ग्रेड पे-2800
		प्रवर सहायक	5	0	5	30%	5	5200-20200 ग्रेड पे-2400
		कनिष्ठ सहायक/सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (पूर्व पदनाम कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/उर्दू अनुवादक)	6	0	6	32%	5	5200-20200 ग्रेड पे-1900
		कुल स्वीकृत पद	17	0	17	100%	16	
3	नैनीताल	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड I एवं ग्रेड II को सम्मिलित करते हुए)	2	1	3	20%	7	9300-34800 ग्रेड पे-4200
		मुख्य सहायक	9	1	10	18%	6	5200-20200 ग्रेड पे-2800
		प्रवर सहायक	10	1	11	30%	11	5200-20200 ग्रेड पे-2400
		कनिष्ठ सहायक/सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (पूर्व पदनाम कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/उर्दू अनुवादक)	10	01	11	32%	11	5200-20200 ग्रेड पे-1900
		कुल स्वीकृत पद	31	4	35	100%	35	
4	उधमसिंह नगर	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड I एवं ग्रेड II को सम्मिलित करते हुए)	2	1	3	20%	7	9300-34800 ग्रेड पे-4200
		मुख्य सहायक	8	1	9	18%	6	5200-20200 ग्रेड पे-2800
		प्रवर सहायक	9	2	11	30%	10	5200-20200 ग्रेड पे-2400
		कनिष्ठ सहायक/सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (पूर्व पदनाम कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/उर्दू अनुवादक)	9	2	11	32%	11	5200-20200 ग्रेड पे-1900
		कुल स्वीकृत पद	28	6	34	100%	34	
	डिवांसगढ़	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड I एवं ग्रेड II को सम्मिलित करते हुए)	2	1	3	20%	7	9300-34800 ग्रेड पे-4200
		मुख्य सहायक	9	1	10	18%	6	5200-20200 ग्रेड पे-2800

4	कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर आपरेटर / उर्दू अनुवादक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-1900)	12	02	01	09(प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक-एक पद)
	योग	38	07	04	27

जनपद टिहरी(जिला विकास कार्यालय, 09 विकास खण्डों हेतु पद आवंटन)

1	प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 9300-34800 (ग्रेड पे-4200)	07	02	-	05(विकास खण्ड कीर्तिनगर, नरेन्द्रनगर(फकोट), जौनपुर, देवप्रयाग एवं चम्बा हेतु एक-एक पद)
2	मुख्य सहायक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-2800)	06	02	-	04(विकास खण्ड भिलंगना, जाखणीधार, थौलधार एवं प्रतापनगर हेतु एक-एक पद)
3	प्रवर सहायक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-2400)	10	01	-	09(प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक-एक पद)
4	कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर आपरेटर / उर्दू अनुवादक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-1900)	11	02	-	09(प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक-एक पद)
	योग	34	07	-	27

जनपद देहरादून(जिला विकास कार्यालय, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र एवं 06 विकास खण्डों हेतु पद आवंटन)

1	प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 9300-34800 (ग्रेड पे-4200)	06	03	01	02(विकास खण्ड रायपुर, डोईवाला हेतु एक-एक पद)
2	मुख्य सहायक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-2800)	05	01	01	03(विकास खण्ड चकराता, कालसी एवं सहसपुर हेतु एक-एक पद)
3	प्रवर सहायक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-2400)	09	02	01	06(प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक-एक पद)
4	कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर आपरेटर / उर्दू अनुवादक वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड पे-1900)	09	02	01	06(प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक-एक पद)
	योग	29	08	04	17

जनपद पौड़ी(जिला विकास कार्यालय, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र एवं 15 विकास खण्डों हेतु पद आवंटन)

1	प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 9300-34800 (ग्रेड पे-4200)	12	03	01	08(विकास खण्ड द्वारीखाल, जयहरीखाल, पौड़ी दुगड़डा, नैनीडांडा, बीरोंखाल, कल्जीखाल एवं कोट हेतु एक-एक पद)
2	मुख्य सहायक	10	02	01	07(विकास खण्ड रिखणीखाल,

		पदनाम लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/उर्दू अनुवादक)						
		कुल स्वीकृत पद	17	8	17	100%	17	
13	हरिद्वार	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड I एवं ग्रेड II को सम्मिलित करते हुए)	2	1	3	20%	6	9300-34800 ग्रेड पे-4200
		मुख्य सहायक	7	1	8	18%	6	5200-20200 ग्रेड पे-2600
		प्रवर सहायक	8	2	10	30%	3	5200-20200 ग्रेड पे-2400
		कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (पूर्व पदनाम कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/उर्दू अनुवादक)	8	2	10	32%	10	5200-20200 ग्रेड पे-1900
		कुल स्वीकृत पद	25	8	31	100%	31	
	कुल योग	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड I एवं ग्रेड II को सम्मिलित करते हुए)	26	8	34	20%	84	
		मुख्य सहायक	108	8	116	18%	75	
		प्रवर सहायक	121	12	133	30%	126	
		कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (पूर्व पदनाम कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/उर्दू अनुवादक)	124	12	136	32%	134	
		कुल स्वीकृत पद	419		419	100%	419	

2. उक्त के अतिरिक्त परिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के निम्नानुसार पद पूर्व से ही सृजित है, इन पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:-

पदनाम	शा.सं. 1320 दिनांक 16-6-2004 द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान में स्वीकृत किये जा रहे पदों की संख्या	अन्य विवरण	वेतनमान
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	10	10	जनपद चम्पावत, रुद्रप्रयाग तथा बानेश्वर को छोड़कर प्रदेश के शेष 10 जनपदों हेतु एक-एक पद	9300-34800 ग्रेड पे-4600

3 कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/उर्दू अनुवादक के कुल सृजित पदों में से जनपद देहरादून हेतु आवंटित पदों के सम्पूर्ण जनपद में कार्यरत उर्दू अनुवादकों की संख्या की सीमा तक उर्दू अनुवादक संवर्ग के पद रहेंगे।

4. जनपदवार स्वीकृत पदों का विकास खण्ड, जनपद एवं प्रशिक्षण केंद्रों में आवश्यकतानुसार आवंटन आयुक्त ग्राम्य विभाग के स्तर से किया जायेगा।
5. यह आदेश मा0 मंत्रिमण्डल की पूर्व में अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 630/XXVII(7)/2012 दिनांक 05 जुलाई 2012 में आशिक संशोधन के साथ जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या 1842/XI/12/53(65)/2004 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।
5. जिला विकास अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त अनुभाग-7/वित्त अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग।

देहरादून, दिनांक 3 मई 2013

विषय-ग्राम्य विकास विभाग के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन विषयक।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 373/XXVII(7)27(2)/2013 दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या 406/XXVII(7)27(2)/2011 दिनांक 08 फरवरी, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त ग्राम्य विकास विभाग के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान निम्नानुसार संशोधित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है :-

क्र०स०	पदनाम	वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	संशोधित पदनाम	संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	कनिष्ठ सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे रु० 1900	कनिष्ठ सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे रु० 2000
2	प्रवर सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे रु० 2400	वरिष्ठ सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे रु० 2800
3	मुख्य सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे रु० 2800	प्रधान सहायक	रु० 9300-34800 ग्रेड पे रु० 4200
4	प्रशासनिक अधिकारी	रु० 9300-34800 ग्रेड पे रु० 4200	प्रशासनिक अधिकारी	रु० 9300-34800 ग्रेड पे रु० 4600
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रु० 9300-34800 ग्रेड पे रु० 4600	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रु० 9300-34800 ग्रेड पे रु० 4800

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 373/XXVII(7)27(2)/2013 दिनांक 16 जनवरी, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी के कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का एक पद वेतनमान रु० 15600-39100 ग्रेड पे-5400 में सृजित किया जाता है।

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या - /XI/13/53(65)/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग- 7 / कार्मिक अनुभाग- 2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे०एल०शर्मा)
अनु सचिव

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वि0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून: दिनांक: 16 जनवरी, 2013

विषय:- उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	संशोधित पदनाम	संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3		4
1	कनिष्ठ सहायक	₹ 5200-20200 ग्रेड पे ₹1900	कनिष्ठ सहायक	₹5200-20200 ग्रेड पे ₹2000
2	प्रवर सहायक	₹5200-20200 ग्रेड पे ₹2400	वरिष्ठ सहायक	₹5200-20200 ग्रेड पे ₹2800
3	मुख्य सहायक	₹5200-20200 ग्रेड पे ₹2800	प्रधान सहायक	₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4200
4	प्रशासनिक अधिकारी	₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4200	प्रशासनिक अधिकारी	₹ 9300-34800 ग्रेड पे ₹4800
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4800	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4800
6	-	-	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	₹15600-39100 ग्रेड पे ₹5400

2- कलेक्ट्रेट, मण्डलायुक्त कार्यालय, तथा प्रदेश के ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष वेतनमान ₹67000-3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की दर-79000 के स्तर के पद हैं, वहां लिपिकीय संवर्ग में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड ₹15600-39100 एवं ग्रेड वेतन ₹5400 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम से पद रखा जायेगा।

3- लिपिक संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं तथा पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की अर्हता के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से नियमों में संशोधन किये जायेंगे।

4- उक्तानुसार संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 01-04-2013 से अनुमन्य होगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 373 (1)/ xxvii(7)27(2)/2011 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्ये-सह-स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से. 
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

रविनाथ रामन

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

Fax

75

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास विभाग

पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून

दिनांक 13 मई, 2011

विषय: ग्राम्य विकास निदेशालय, पौड़ी हेतु पदों का स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों के स्टाफिंग पैटर्न के विषय में निर्गत शासनादेश संख्या-183/XXX(2)/2010 दिनांक 11 फरवरी, 2010 के क्रम में 18 पद एवं इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के 04 पद पर अर्थात् कुल 22 पूर्व स्वीकृत पदों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास निदेशालय, पौड़ी हेतु मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों के लिए निम्नानुसार पदों का मात्राकरण करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	पद नाम	शा० दिनांक 13. 12.2008 द्वारा स्वी कृत पदों की संख्या	शा० दिनांक 16.6.2004 द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत किये जा रहे पद
1	2	3	4	5	6	7
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	-	-	-	9300-34800 ग्रेड पे- 4600	01 पद
2.	प्रशासनिक अधिकारी	3	1	4	9300-34800 ग्रेड पे- 4200	04 पद
3.	मुख्य सहायक	4	2	6	5200-20200 ग्रेड पे-2800	04 पद
4.	प्रवर सहायक	4		4	5200-20200 ग्रेड पे- 2400	06 पद
5.	कनिष्ठ सहायक	7	1	8	5200-20200 ग्रेड पे-1900	07 पद
	योग:-	18	4	22		22 पद

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 490/XXVII(7) /2011 दिनांक 04 मई, 2011 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

3. संगत सेवा नियमावली में उक्तवत पदों की संख्या तथा वेतनमान में संशोधन अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)

अपर सचिव।

50517
मे.एल.
नरि.ए.

संख्या 835 (1)/XI/11/53(65)/2004 टी0सी0-1 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/वित्त (वे0आ0-सा0वि0) अनुभाग-7।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

औज़ा से,
(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।